

राजस्थान सरकार

कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (वि.)
जयपुर खण्ड, अकादमिक भवन तृतीय तल दुर्गा
जयपुर दूरभाष एवं फ़ैक्स सं.0141-2722316
पिन-302018



Office Joint Director Agriculture(Ext.)
Jaipur Division, Academic, Bhawan, IIIrd Floor,
Durgapura , Jaipur Office Ph. & Fax No. 0141-2722316
PIN 302018
e-mail:- jdagr_jpr@rediffmail.com

क्रमांक:-संनिक/निविदा./2017-18/3261-64

दिनांक:- 16.01.18

निविदा सूचना

नेशनल ई-गवर्नेस प्लान इन एग्रीकल्चर के तहत एक वर्ष की अवधि में खण्ड स्तर पर कुल 12 कम्प्यूटर प्रशिक्षण (दो दिवसीय) आयोजित किये जाने हैं। प्रत्येक प्रशिक्षण में लगभग 20 प्रशिक्षणार्थी भाग लेंगे। इस पर राशि रुपये 1.44 लाख अनुमानित व्यय संभावित है। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों हेतु भोजन, अल्पाहार एवं चाय की व्यवस्था की जानी है। आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का विवरण निम्नानुसार है।

1. **भोजन:-** पनीर सब्जी, दाल तड़का, सीजनल हरीसब्जी, रायता/दही, चपाती, सलाद, अचार, पूलाव, मिठाई पीस (लगभग 60-70 ग्राम)
2. **अल्पाहार:-** कचौरी/समोसा (लगभग 125 ग्राम), बिस्किट गुडडे (5 नग), मोनाको (5 नग)
3. **चाय:-** लगभग 150 मि.ली. प्रति कप

उक्त तीनो सामग्री की दरे बन्द लिफाफे मे दिनांक 25.01.2018 को दोपहर 1.30 बजे तक अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय में प्रस्तुत करे। प्राप्त निविदाएं दिनांक 25.01.2018 को दोपहर 2.30 बजे खोली जावेंगी।

(जे. एस. संधू)
संयुक्त निदेशक कृषि (वि.)
जयपुर खण्ड, दुर्गापुरा, जयपुर

क्रमांक:-संनिक/निविदा./2017-18/3261-64

दिनांक:- 16.01.18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. ए.सी.पी., कृषि आयुक्तालय, राज. जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त निविदा सूचना को <http://sppp.raj.gov.in> पोर्टल/विभागीय वेबसाइट <http://krishi.raj.gov.in> पर अपलोड करवाये जाने का श्रम करावें।
2. नोटिस बोर्ड, संयुक्त निदेशक कृषि (वि.) जयपुर खण्ड, दुर्गापुरा, जयपुर।
3. नोटिस बोर्ड, कार्यालय निदेशक, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर।
4. मै0
5. आरक्षी पंजिका।

(जे. एस. संधू)
संयुक्त निदेशक कृषि (वि.)
जयपुर खण्ड, दुर्गापुरा, जयपुर

राजस्थान सरकार

कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (वि.)
जयपुर खण्ड, अकादमिक भवन तृतीय तल दुर्गापुरा
जयपुर दूरभाष एवं फैक्स सं.0141-2722316
पिन-302018



Office Joint Director Agriculture(Ext.)
Jaipur Division, Academic, Bhawan, IIIrd Floor,
Durgapura , Jaipur Office Ph. & Fax No. 0141-2722316
PIN 302018
e-mail:- jdagr_jpr@rediffmail.com

निविदा की शर्तें

1. भोजन व्यवस्था हेतु निविदा की अनुमानित राशि रूपये लगभग 1.44 लाख है।
2. निविदा में किसी प्रकार की काट-छांट नहीं करें। ऐसी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
3. निर्धारित तिथि व समय के पश्चात प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जावेंगी।
4. उक्त निविदाओं को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार संयुक्त निदेशक कृषि (वि.) जयपुर खण्ड, दुर्गापुरा, जयपुर को होगा।
5. दरों में करों के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।
6. प्रत्येक प्रशिक्षण में दो नाश्ते, दो लंच एवं एक डिनर होना प्रस्तावित है।
7. आदेश प्राप्ति के पश्चात् समय-समय पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षण हेतु भोजन व्यवस्था करानी होगी।
8. निविदा के संबंध में अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में कार्यालय से ली जा सकती है।
9. RTTP ACT/नियम एवं GF & AR के समस्त प्रावधान लागू होंगे।
10. निविदादाता को अपना पेन कार्ड की फोटो प्रति संलग्न करना आवश्यक है।
11. निविदा फार्म पेन/बालपेन से अथवा टंकण से भरा हुआ ही प्रस्तुत किया जावे, पेन्सिल से भरा हुआ निविदा फार्म स्वीकार नहीं किया जावेगा।
12. निविदादाता को अपनी दरें अंको एवं शब्दों में साफ-साफ (स्पष्ट रूप से) लिखनी चाहिये इनमें कोई त्रुटियाँ/अशुद्धियाँ/काट-छांट नहीं होनी चाहिये।
13. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
14. निविदादाता को इस हेतु कोई अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।
15. फर्म को भुगतान राशि उसके द्वारा कार्यालय को उपलब्ध करवाये गये बैंक खाते में ऑन लाइन किया जावेगा। इस हेतु फर्म को अपने बैंक की पूर्ण डिटेल्/पैन नं. मोबाईल नम्बर आदि कार्यालय को उपलब्ध करवानी होगी।
16. फर्म को किये जाने वाले भुगतान से नियमानुसार टीडीएस की कटौती की जावेगी।
17. अनुमोदित दरें अनुबंध तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिये मान्य होगी, इस निविदा को आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकेगा।
18. निविदादाता अपनी निविदा/संविदा को या उसके किसी भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सोपेगा।
19. प्रशिक्षणों में आपूर्ति की जाने वाली भोजन सामग्री (भोजन, अल्पाहार, चाय आदि) उपयुक्त गुणवत्ता की होगी, गुणवत्ता सही नहीं पाये जाने पर अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को नियमानुसार भुगतान कटौती एवं आवश्यक कार्यवाही करने का अधिकार होगा।
उपरोक्त कम संख्या 1 से 18 तक की शर्तें मुझे/हमें स्वीकार है, जिसके सहमति स्वरूप निविदा प्रपत्र पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

संयुक्त निदेशक कृषि (वि.)
जयपुर खण्ड, दुर्गापुरा, जयपुर

हस्ताक्षर निविदादाता